प्रेस नोट **15.01.2023**

रास्ते पर आने जाने वाली महिलाओं/बालिकाओं को देखकर फब्तियां कसने/अश्लील हरकत करने वाले दो अभियुक्त गिरफ्तार–

मिशन शक्ति (नारी सुरक्षा, नारी स्वावलम्बन एवं नारी सम्मान) अभियान के क्रम में दिनांक 14.01.2023 को थाना कोतवाली पुलिस एन्टी रामियो टीम द्वारा की जा रही चेकिंग के दौरान शीतला माता मन्दिर मोहल्ला महरनियॉ के पास रास्ते पर आ जा रही महिलाओं/लडकियों को देखकर अश्लील हरकत करने तथा फब्तियां कसने वाले दो अभियुक्त क्रमशः सरवेज अहमद पुत्र एकलाख अहमद, राहुल कुमार पुत्र चन्द्रदेव राम निवासीगण मरदह थाना मरदह जनपद गाजीपुर को गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में उक्त अभियुक्तों के विरूद्ध थाना स्थानीय पर क्रमशः मु0अ0सं0 12,13/23 धारा 294 भादवि0 का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।

शांति भंग की आशंका में 23 व्यक्ति तथा 03 वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार–

आज दिनांक 15.01.2023 को जनपद के विभिन्न थानों द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान थाना दक्षिणटोला पुलिस द्वारा समसाद अहमद, अफसार, हरेन्द्र प्रजापति, मूमताज निवासीगण थाना दक्षिणटोला, थाना कोतवाली पुलिस द्वारा वीरेंद्र कुमार निवासी नवादा बलिया, दीपक वर्मा निवासी नगरा बलिया, प्रियांशु राय निवासी वैजापुर थाना दक्षिण टोला, सौरभ मौर्या, सिंटू बांसफोर निवासी भीटी थाना कोतवाली, थाना मधुबन पुलिस द्वारा मिश्रि, राजू, अरविन्द्र, रमेश, प्रवीण निवासीगण सीसवा थाना मधुबन, थाना मुहम्मदाबाद पुलिस द्वारा मोनू उर्फ प्रिंस निवासी तुलसीपुर, रविन्द्र यादव निवासी जागरी, उमेश निवासी कुडवा जनपद आजमगढ़, थाना सरायलखंसी पुलिस द्वारा अखिलेश सिंह निवासी बढ़ुआ गोदाम निवासी सरायलखंसी, थाना रामपुर पुलिस द्वारा प्रमोद कुमार निवासी गुरुमहा, रमेश चौरसिया, शकुंतला देवी, राजेश चौरसिया, ललिया देवी निवासीगण फतेहपुर मंडाव थाना रामपुर जनपद मऊ को अन्तर्गत धारा 151 सीआरपीसी तथा थाना दक्षिणटोला पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्तगण रामअवतार पुत्र पतिराम, श्रीकिसुन पुत्र देवराज निवासीगण हकीकतपुरा, रामायण गुप्ता पुत्र हीरामन निवासी बैजापुर थाना दक्षिणटोला जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।